

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं०— 93/2016-12

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.22	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तनान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरू करें। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित —श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म <u>अनाबाद</u>) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि— मौजा <u>पट्टी 51</u> - थाना नं० <u>294</u> खाता सं० <u>23</u> प्लॉट सं० <u>—</u> रकबा <u>1.18</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द सं० <u>1</u> के पृष्ठ सं० <u>48</u> पर जमाबंदी रैयत <u>गुरु प्रसाद</u> <u>गुरु प्रसाद</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना बांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित	

मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अबैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में कि 312 अक्षर मूल रसिदी 611 608

184408, मजरा रसिद 98 1823-24 म. 728683

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23

अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रमारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रमारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा 92551 मौजा नं० 294 खाता सं०-23 प्लॉट

सं०-436, 434 रकबा 1.18 किस्म खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि कि 312 अक्षर मूल रसिदी 611 608

मजरा 184408/728683 — प्राप्त है जिसका क्रम/मूद सं० 184408/728683 है।

उक्त भूमि का DCLR/SDO के द्वारा लगान निर्धारण नहीं हुआ है। तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप से मांग कायम किया गया है तथा मांगधारी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा अस्पष्ट है। लगान रसीद वर्ष

1923-24 तक निर्गत है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रमारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-11 में कायम जमाबंदी सं० 48/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजे।
लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पहाड़, द. 10/12/12

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म ज
दुर्रिह 22 ईमां	बरडीहा	294	23	436/434	1.18	उरमाका मालिक	जंगल झा
पि. 11 रामजान 22 ईमां							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- जंगल झाडी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II के जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी II के जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा :-

मौज कायम दर्ज होने का कोई पट्टा आधार नहीं है।

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अवैधानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संघारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) चाखिल-खारिज / भू-उत्सांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंचल कामेला
मे मीछर पंजी II
रुंदा रबमिन है

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- **नहीं**

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- **नहीं**

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- **नहीं**

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- **नहीं**

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदित ग्राम मीला बरौदा के खग 23 ब्लॉक 434, 436 स्कवा 1.18 एकड़ भूमि का मोग पंजी II के पंजी नं. 43/1 पर दखल बूझारत रोजमन ग्रहियों के नाम से दर्ज है। मोग पंजी II मोग कायम होने का कोई आधार दर्ज नहीं है। मोगधारी के ग्राम विहार ग्रामन ग्रह समिति के द्वारा प्रपत्र 5 में पदा य-1844/728683 के द्वारा प्राप्त है। उक्त ग्राम का L.R. 32/5-30 द्वारा लगान निर्धारण संश्लिष्ट प्रपत्र 8 के द्वारा नहीं किया गया। ग्राम पर मोगधारी का दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है। उक्त ग्राम में एमजहागालिक खाने की है तथा ग्राम के किन्हीं जंगल-साड़ी दर्ज है। अतः उपरोक्त मोग अवैध प्रतीत होता है। अग्रर कारवाई हेतु संश्लिष्ट।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच लिया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है।

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- दुरगिह मईगां पिसा रामलाल मईगां
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>बरडीहा</u>	<u>294</u>	<u>23</u>	<u>436, 434</u>	<u>1.18</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में जमाबंदी का अन्वय दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जोरमणलाला ग्राहिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- कोई भी सक्षम प्राधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
पंजी II में जमाबंदी का अन्वय दर्ज नहीं है।
7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II में दर्ज नहीं है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
:-
9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>164985</u>	<u>18/1/78</u>	<u>1973-74</u>

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० १३ / २०.१६/१७ (अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)

बनाम दुर्गेश्वर सुईया सूचना
पिता - रामजलम सुईया

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा ब-डीहा थाना नं० २९५
खाता सं० २३ खेसरा नं० — एकबा ११४ से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० १७ के पंजी-११ भाग १ के पृष्ठ ५४ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक २४/१२/२०२२ को समय ११:०० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जारी है।



08/12/22
अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

रामजलम सुईया

९४३६०६२५१०